

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहारनपुर।

पत्रांक- 963/ जि0का0अ0/ऑ0बा0चयन/2024-25 दिनांक 19 अक्टूबर, 2024

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-19/2023/3975/58-1-2022-2/1(22)10टी0सी0 दिनांक 21.03.2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद सहारनपुर के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का वार्डवार/ग्राम सभावार/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की संख्या
1	बलियाखेड़ी	44
2	ननौता	11
3	रामपुर मनिहारन	15
4	सरसांवा	20
5	मुजफ्फराबाद	25
6	नकुड़	33
7	नागल	31
8	गंगोह	18
9	सढोली कदीम	10
10	पुर्वोरका	21
11	देवबन्द	30
12	शहर	38
कुल योग-		296

नोट:- उपरोक्त तालिका में वर्णित रिक्त पदों की संख्या विभागीय पोर्टल के आधार पर घट बढ़ सकती है। उपरोक्त पदों का ग्राम सभा/वार्डवार आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष होगी।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्रामसभा की स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
4. शासनादेश के अनुसार आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि (01.07.2024) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
5. विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. विज्ञप्ति पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 09.11.2024 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
7. ग्रामसभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत की स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
8. शासनादेश संख्या-19/2023/3975/58-1-2022-2/1(22)10टी0सी0 दिनांक 21.03.2023 के प्रस्तर-2(III) में प्राविधानानुसार 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरान्त उनकी मानदेय आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी। ऐसी सेवा समाप्ति/सेवानिवृत्ति की तिथि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष (02 मई से 30 अप्रैल तक) में 30 अप्रैल रहेगी।

(नन्द लाल प्रसाद)


जिला कार्यक्रम अधिकारी

सहारनपुर।

पृष्ठांकन संख्या- 1-983 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सहारनपुर।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सदस्यगण चयन समिति, सहारनपुर।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार हेतु जनपद के सर्वाधिक प्रसारित दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. सम्पादक दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि अपने समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करने के साथ बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. कार्यालयप्रति।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
सहारनपुर।